(वाद सं०-1173/4/22/2022)

12.01.2023

प्रसंगाधीन मामला आग्नेयस्त्र से गोली चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद परिवादी रिंकी देवी के पति तथा दो पुत्रों के विरूद्ध भा०द०स० की धारा–307 व शस्त्र अधिनियम की धाराओं–25/27 व 30 के अन्तर्गत मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–47/2022, दिनांक–15.02.2022 को गलत रूप से दर्ज करने तथा पुलिस कर्मियों द्वारा जबरदस्ती परिवादी के घर बिना किसी महिला पुलिस के प्रवेश कर, उसकी पुत्रियों व अन्य लोगों के साथ मारपीट किये जाने के बाद, पुनः उनके विरूद्ध भा० द० स० की धाराओं–341/323/325/307/308/353/504/506/34 के अन्तर्गत मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–52/2022, दिनांक–17.02.2022 गलत रूप से दर्ज किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, मुंगेर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, मुंगेर** के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मुंगेर के प्रतिवेदनानुसार, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर जांचोंपरान्त मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–47/2022 दर्ज किया गया। जब उपरोक्त काण्ड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस कर्मियों द्वारा छापेमारी की गयी तो उपरोक्त काण्ड के अभियुक्तों एवं उनके परिजनों द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट कर उनपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के संबंध में अनुसंधानकर्त्ता के लिखित आवेदन पर मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–52/2022, दिनांक–17.02.2022 संस्थित किया गया। प्रतिवेदनानुसार, मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–47/2022 में अनुसंधानोंपरान्त परिवादी के पति व पुत्रों

के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है साथ ही साथ मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या–52/2022, दिनांक–17.02.2022 में अनुसंधानोंपरान्त स्वयं परिवादी व अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा दोनों आपराधिक मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

अब जबकि प्रसंगाधीन दोनों मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधानोंपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है तथा मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिवादी अगर पुलिस अनुसंधान से असहमत रहते है तो संबंधित न्यायालय में विधि अनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ **पुलिस अधीक्षक, मुंगेर** के **प्रतिवेदन (पृष्ठ 16 तथा 14–13/प0)** की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक